

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वाँ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ. 53(1) / अता प्र.सं. 65 / तृतीय सत्र (बजट सत्र-2022) / दिविस / श.वि. / 2088 दिनांक: 25/3/2022
सेवा में,
to
2090

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. 65 माननीय विधायक
श्रीमान् राजकुमारी ठिल्ली, दिनांक 28.03.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।
महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्घृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वाँ तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।


उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
९वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायिका का नाम : श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अंतारांकित प्रश्न संख्या : 65

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सी एम स्ट्रीट लाईट परियोजना के तहत प्रत्येक विधानसभा को 3000 लाईट देने का प्रावधान है।	मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाईट के नाम की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, परंतु प्रत्येक विधानसभा में एम०एस०पी०वाई० योजना के अंतर्गत डार्क स्पॉट पर 3000 स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रावधान है।
ख	यदि हां, तो क्या विभाग इस बात से अवगत है कि हरी नगर विधानसभा में केवल 850 लाईट प्रदान की गई है एलईडी लाईट्स का कार्य रुक गया है।	हरी नगर विधानसभा में एम०एस०पी०वाई० योजना के अंतर्गत 1030 स्ट्रीट लाईटें लगी हैं।
0ग	सी० एम० स्ट्रीट लाईट परियोजना का कार्य पुन कब प्रारंभ होगा।	एम०एस०पी०वाई० योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में स्थानीय विधायक के अनुरोध पर 3000 स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रावधान है।
घ	2150 शेष बची हुई लाईट कब तक प्रदान की जाएगी?	उपरोक्त के अनुसार

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02